# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी : श्रीमती गीताबाई** — **विपक्षी : श्री जगदीश**

**किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम** — **पत्रावली संख्या : 77/22**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 17.11.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक बताकर विपक्षी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि पैतृक नहीं होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 4, 5 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षी सं. 1 को हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 1624/171, 1626/172, 1628/176, 1630/178, 1632/179, 180 किता 7 रकबा 0.8862 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 जगदीश पिता भंवरलाल आचार्य अपने हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करें। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:46 IST
Reason: SelfAttested

( श्रीकान्त व्यास )
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली